समाहरणालय, बक्सर
(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक ____________/आ0
दिनांक / /2021

ई–मेल – **apda.buxar@gmail.com**

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बक्सर एवं डुमरॉव।
सभी अंचल अधिकारी, बक्सर जिला।

विषय : **CFMS द्वारा Demand No.- 39-Disaster Managment Department, Major Head-2235-Social Security and Welfare, Sub Major Head-01-REHABILITATION, Minor Head-200-Other Relief Measures, Sub Head-0003-NA, Head of Account-39-2235-01-200-0003-NA, Object Head-35-01 Cash/Item में व्यय हेतु कुल 1,00,000/– (एक लाख) रूपये मात्र का उपावंटन।**

प्रसंग : **इस कार्यालय के पत्रांक– 1350/आ0 दिनांक 10.12.2020 एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का Order No 7599 Dated 19-01-2021, File No. 1/pra aa-0-3-49/2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि CFMS पोर्टल पर 585466 द्वारा Demand No.- 39-Disaster Managment Department, Major Head-2235-Social Security and Welfare, Sub Major Head-01-REHABILITATION, Minor Head-200-Other Relief Measures, Sub Head-0003-NA, Head of Account-39-2235-01-200-0003-NA, Object Head-35-01 Cash/Item में व्यय हेतु कुल **1,00,000/– (एक लाख) रूपये मात्र** का उपावंटन पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक– 1350/आ0 दिनांक 10.12.2020 द्वारा किया गया है, पुनः Order No. 7599 Dated 19-01-2021 के द्वारा कुल राशि 1,00,000/– (एक लाख) रूपये मात्र का आवंटन शीतलहर से बचाव हेत विभाग द्वारा प्राप्त है। प्राप्त आवंटन 1,00,000/– (एक लाख) रूपये मात्र निम्न शर्त्तो के तहत आपको उपावंटन किया जाता है, जो निम्नवत है :–

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3		5
1	अंचल अधिकारी, बक्सर	8000.00	8000.00	16000.00
2	अंचल अधिकारी, चौसा	6000.00	6000.00	12000.00
3	अंचल अधिकारी, इटाढ़ी	8000.00	8000.00	16000.00
4	अंचल अधिकारी, राजपुर	8000.00	8000.00	16000.00
5	अंचल अधिकारी, डुमरॉव	8000.00	8000.00	16000.00
6	अंचल अधिकारी, सिमरी	8000.00	8000.00	16000.00
7	अंचल अधिकारी, नावानगर	8000.00	8000.00	16000.00
8	अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर	8000.00	8000.00	16000.00
9	अंचल अधिकारी, चक्की	6000.00	6000.00	12000.00
10	अंचल अधिकारी, केसठ	6000.00	6000.00	12000.00
11	अंचल अधिकारी, चौगाई	6000.00	6000.00	12000.00
12	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर	10000.00	10000.00	20000.00
13	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरॉव	10000.00	10000.00	20000.00
	कुल :–	**100000.00**	**100000.00**	**200000.00**

(एक लाख रूपये मात्र)

उपरोक्त उपावंटित राशि **1,00,000/– (एक लाख) रूपये मात्र** की निकासी निम्न शर्तो की तहत की जायेगी :–

1- यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2020–21 मे व्यय हेतु निर्गत किया जा रहा है।
2- इस राशि से शीतलहर की दशा में अलाव की व्यवस्था सभी शहरी/अर्द्धशहरी स्थानों में की जायेगी। संबंधित पदाधिकारी अलाव जलाने का स्थान चयन करते समय यह ध्यान रखे की अलाव ऐसे स्थानो पर जलाये जहां अधिक से अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते है या एकत्र होते है। साथ ही यह ध्यान रखे की अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाय, जहां अधिक से अधिक प्रभावित लोगो को लाभ मिल सके।
3- आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद इस राशि का वितरण नही किया जाय। अन्यथा इसके लिए निकासी व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
4- आवंटित की गयी राशि की निकासी यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारण वश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रताशीघ्र एवं अचूक रूप से **दिनांक 15.03.2021 तक** आवश्य भेज दिया जाय।
5- आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मोहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कीं होगी।
6- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 {वि0 (2)} दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग निदेशो का अक्षरशः पालन किया जाय।
7- यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नही हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण **दिनांक 15.03.2021 तक** निश्चित रूप से कर दे अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते मे नही रखी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 95 आ0दिनांक 28.01.2021।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 बक्सर/आई0टी, मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

27/1/21
जिला पदाधिकारी,
बक्सर